

**HARYANA GOVERNMENT**  
**DEFENCE SERVICES WELFARE DEPARTMENT**

**Notification**

The 30th August, 2007

No.G.S.R.26/Const.Art.309/2007.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Defence service Welfare Department State (Group A) Service Rules, 1999, namely:--

1. These rules may be called the Haryana Defence Service Welfare Department State (Group A) Service (Amendment)Rules, 2007.
2. In the Haryana Defence Service Welfare Department State (Group A) Service Rules, 1999, for rule 5, the following rule shall be substituted, namely:--

“5.Age.—No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment who is more than fifty-five years of age on the last date of submission of application to the Commission or any other recruiting authority .”

PREM PRASHANT,  
Chief Secretary to Government, Haryana.

हरियाणा सरकार

रक्षा सेवार्ये कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिनांक 30 अगस्त 2007

संख्या सा0का0नि026/संवि0अनु0309/2007-- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा रक्षा सेवार्ये कल्याण विभाग राज्य (ग्रुप क) सेवा नियम, 1999, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. ये नियम हरियाणा रक्षा सेवार्ये कल्याण विभाग राज्य (ग्रुप क) सेवा (संशोधन) नियम, 2007, कहे जा सकते हैं ।

2. हरियाणा रक्षा सेवार्ये कल्याण विभाग राज्य (ग्रुप क) सेवा नियम, 1999, में, नियम 5 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“5. आयु.-- कोई भी व्यक्ति सेवा में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा, जो आयोग अथवा किसी अन्य भर्ती प्राधिकारी को आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि को पचपन वर्ष की आयु से अधिक का हो ।” ।

प्रेम प्रशान्त,  
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।